भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4313
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर के लिए

शी-बॉक्स पोर्टल का कवरेज और प्रचालन तंत्र

4313. डॉ. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्रीमती किरण चौधरीः
डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री नरहरी अमीनः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उन कार्यस्थलों की संख्या कितनी है जिन्हें शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है, साथ ही इस प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के संगठनों में इस पोर्टल को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महिलाओं हेतु सुगमता बढ़ाने के लिए बहुभाषी पहुँच और डिजिटल एकीकरण सुविधाएँ शामिल की गई हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालन को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2024 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (पॉश अधिनियम), 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल संचालन पहल के रूप में लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स)

पोर्टल (https://shebox.wcd.gov.in/) का शुभारंभ किया गया। दिनांक 27.03.2026 तक, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में 10 से अधिक कर्मचारियों वाले 161,000 से अधिक कार्यस्थलों को पोर्टल पर शामिल किया जा चुका है। इनमें से, पोर्टल पर शामिल किए गए कार्यस्थलों द्वारा 68,460 से अधिक आंतरिक समितियों (आईसी) का ब्यौरा अद्यतन किया जा चुका है। जिला स्तर पर 777 स्थानीय समितियों (एलसी) का ब्यौरा भी पोर्टल पर उपलब्ध है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और व्यापक पहुंच के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न हितधारक मंत्रालयों और विभागों अर्थात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग,अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक मंडलों के साथ पोर्टल की कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श कर रहा है और ऑरेलियनो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 3 दिसंबर, 2024, 12 अगस्त, 2025 और 6 जनवरी, 2026 के आदेशों के माध्यम से मुख्य सचिवों को निदेश दिया कि वे अधिनियम के तहत उपयुक्त पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित जिला अधिकारियों को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आईसी के संबंध में उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करने का निदेश दें। माननीय न्यायालय ने जिला और राज्य स्तर पर श्रम आयुक्तों की सहायता से इन सर्वेक्षणों को संचालित करने का आदेश दिया और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि सभी एकत्रित आंकड़ों को शी-बॉक्स पोर्टल पर ठीक से अपलोड किया जाए, जिससे आईसी के गठन के लिए कार्यस्थलों द्वारा अनुपालन और निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके।

नोडल मंत्रालय होने के नाते, शी-बॉक्स पोर्टल के बारे में समझ बढ़ाने एवं केंद्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी विभागों और साथ ही निजी प्रतिष्ठानों की चिंताओं तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सक्रिय रूप से हाइब्रिड मोड में कई बैठकें और प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। पोर्टल पर सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने के लिए चर्चाओं, स्पष्टीकरणों और कार्यनीतिक मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाने में ये सत्र महत्वपूर्ण रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, शी-बॉक्स पोर्टल की पहुंच का विस्तार करने और पॉश अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, महिला एवं बाल मंत्रालय ने शी-बॉक्स पोर्टल को मिशन शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन में एकीकृत कर दिया है जिससे यह सभी एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों पर सुलभ हो गया है। इस एकीकरण ने दूरस्थ और अनौपचारिक कार्यस्थलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पहुंच को काफी हद तक आसान बना दिया है। यह पोर्टल बहुभाषी सहायता भी प्रदान करता है, जिससे यह 23 भाषाओं में सुलभ हो जाता है, और अधिक व्यापक तथा समावेशी पहुंच सुनिश्चित करता है।

इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर उपलब्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं ताकि प्रत्येक जिले में एक एलसी की स्थापना और जिला अधिकारियों द्वारा ब्लॉक/तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित सुलभ चैनल बनाए जा सकें, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सहायता के लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से आग्रह किया है कि वे पॉश अधिनियम की धारा 5 और 6 के अधिदेश के अनुरूप पोर्टल पर एलसी, जिला अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के विवरण को अद्यतन करें ताकि जनता उसे देख सके ।

डिजिटल एकीकरण के अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निरंतर जागरूकता बढ़ाने की पहल भी की है। मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे-एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम) के माध्यम से नियमित प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे अधिनियम और पोर्टल के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार सुनिश्चित हो रहा है। इस पोर्टल में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्रियों का एक व्यापक भंडार उपलब्ध है जिनमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, रचनात्मक सामग्री, ऑडियो-विजुअल, हैंडबुक और प्रशिक्षण मैनुअल शामिल हैं, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करते हैं।
